

16/12/19 को पिछा हो

16/12/19

व. फ. डप... प्राचीवाडी कोबासा

1, 6, 16 ता. 35 वावपुत्र सा...

के अ... विकास ले अ... के
विकस रफ... प... व...
अ... के जा... जाती है

प्राचीवाडी का प्रा... पत्र

022 R Y का स्वीकार किया

जाता है, तथा प्राची/ वा... को

अ... पत्र प्रक... कर निक...
किया है कि वाडी की स्व...
कृ... अ... 4034 रकवा 042

है, श्राविक स्व... नंबर 792

रकवा 1 बीघा 17 बरवा के

डक... कृ... की स्व... के

वाडी व इसके ग... भागीरथ

का दिक्का 1/3 व दो व दिक्का

जिला जयपुर

फर्द अहकाम

सउरगण बनाम सरकार

नाम न्यायालय

केस संख्या 170/2016

वाउ

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तार
		<p>नारायण पुत्र मुरा का-हवा नाम पुत्र देवा कुम्हार का किहित धाग/ वाडी व इसके अन्व सह-स्वतेडारी के परस्पर सहाति से उक्त मूग का विक्रय करके पिलम के पिसके परकाल रकम 4034/ 4 रकम 0.24 के मूग की स्वतेडारी वाडी के नाम या मेह/ वाडी की स्वतेडारी मूग रकम 4034 के पूर्ण डिखा को मूगली हुए मूग रकम 4032 के पिसके साबित रकम 793 के साबिक नपके के वाडी की मूग रकम 792 व 793 के मूग की सीमा रकम सीधी थी, किन्तु हाथ खन्डो मरत के डोराग बन्डोवत विभाग के फगन्याबिपो के नपा नपके वगैरे के आवश्यक आपधानी गरी अरती लया हाथ नपके के हाथ रकम 4032 व 4034 के मूगकी सीमा को दोहरा कीके के शकते से पहले रकम 4032 की मूग रकम 4034 के वसखे के अनपश्यक रिवाउ इतपन्त हो वामा वाउ वाडी विरन्ड प्रतियाडी</p>

प्राखण्ड
बीर जिला

फर्द अहकाम
सउरगण बनाम

न्यायालय
संख्या 170/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तार
		<p>आवत रिफ्त के 403 रकम के</p>

फर्द अहकाम

अज्ञानता बनाम व्यवहार

विशेष विवरण
आम न्यायालय

केस संख्या

170/2016

पाउ

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>बाधा दौषणा का दिवस किया जाकर पाउ पर के नर के 2 वीली वृत्ति वरुण। 4074/4 के हाथ कपड़े के संख्या 4074/4 व 4072 के संख्या की वृत्ति से गठन वरुण नरुण के र की वृत्ति वरुण ए.डी. वीली की आवेष्टि हाथ नरुण के वृत्ति वरुण के अज्ञानता वृत्ति की वृत्ति की दौषणा करणी पाउ तथा पाउ पाउ विरुद्ध वृत्ति वादीगण बाधा कथापी विरुद्ध का दिवस करणी जाकर प्रविवादीगण के वृत्ति कथापी विरुद्ध के इका करणी करणी के प्रविवादी वरुण एत 35 वादी के इका कठके काठ की वृत्ति के उपयोग उपभोग के बाधा काठि नहीं के ना ही वृत्ति के विरुद्ध वरुण से प्रवेष्ट करणी प्रविवादीगण वरुण 1 ता. 5 व 7 ता. 15 के प्रवाव प्रका करणी विरुद्ध वरुण 1 ता. 5 के 2 ता. प्रका से वीली वरुण वरुण के वरुण वरुण</p>	

आचार्य
 जिला जयपुर
 अधिकारी

फर्द अहकाम

अउमलाग बनाम बसकपोरे

नाम न्यायालय

केस संख्या 170/2016

वाउ

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>वाउके आग चोपु लहकीम चोपु पिणत जपपुर के वीगी आराणीया रकम 4034 रकम 0.42 हे जकके सावक रकम 792 रकम, बीक 12 रकम होग रवीकर ही उप वाउ के नाग रकम 4034/4 रकम 0.24 हे वाउ व अन्य बस- रकम/उरु डार पाइ रिपॉरि बसगी रकम का- विभाषण सभाके जके उपराध ग्राह होग इसी हीके रक रवीकर ही</p> <p>उसप- पत्रकारके अहकाम के बसक बसगी ठाके पिणत वाउके अधिवसत लहकीमउरु लहकीम चोपु की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर गुनापिक रिपोर्ट के वाउ का वाउ रवीकर किया जाकर होग नुबको के डुरवक्य करके ली घोषणाकी पुके पिणत प्रतिवादी के अधिवसत के बसगी प्रमाण की ठाके ही</p> <p>अतः वाउ का वाउ किणत प्रतिवादी के रवीकर किया जाला है तथा लहकीमउरु</p>

4
 उपायार्थ अधिकारी
 जिला जयपुर

फर्द अहकाम

अउमलाग बनाम

न्यायालय

संख्या 170/2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विस्तृत रूप से
	<p>चोपु की के फरके मुवा लहकीम के व</p>

फर्द अहकाम


मउम काण बनाम सरकार

न न्यायालय

संख्या 170/2016

पाठ

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>चौधू की रिपोर्ट दिनांक 21/10/14 के अनुसार नवशान हुसैन के कर्म की घोषणा की जाती है।</p> <p>मुलायम रिपोर्ट सहस्रीमदार सहस्रीम चौधू दिनांक 21/10/14 के द्वारा नवशान के हुसैन के कर्म के सहस्रीमदार चौधू को अडिवा दिया जाता है।</p> <p>पामल दिल्द सहस्रीमदार चौधू को निम्न भाग उवाह रिपोर्ट दिनांक 21/10/14 उवाह निम्न के अनुसार देवी हुसैन रिपोर्ट पकी जारी हो पत्रावली कोवण हुसैन होकर इप नवशान के का- हो तथा इतिहास दपल है।</p> <p>आफ दिनांक: 16/12/19 को निधीष रूप से न्यायालय के सुगमा रोय।</p>	


 आखण्ड अधिकारी
 चामूं जिला जयपुर

मूल वाद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी - हिमात सिंह (R.A.S)

मुकदमा नम्बर :- 170/2016

उनवान

1. मदन पुत्र श्री गंगाराम, जाति कुमावत,
निवासी गिरछ्या वाली कोठी, वार्ड नम्बर 5 रेल्वे स्टेशन रोड, तहसील चौमूं,
जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. मदन लाल पुत्र मांगूं
3. किशन लाल पुत्र मांगूं
4. मोहन लाल पुत्र मांगूं
5. सोहन लाल पुत्र मांगूं
6. केसरी देवी पुत्री मांगूं
7. गुलाब चन्द पुत्र नाथूराम,
8. मोतीराम पुत्र नाथूराम,
9. जगदीश प्रसाद पुत्र नाथूराम,
10. नानूराम पुत्र नाथूराम,
11. श्रवण कुमार पुत्र नाथूराम,
12. शंकर लाल पुत्र नाथूराम,
13. गंगा देवी पुत्री नाथूराम,
14. सुन्दर देवी पुत्री नाथूराम,
15. इन्द्रा देवी पुत्री नाथूराम,
16. आनन्दी लाल पुत्र महादेव,
17. श्रवण कुमार पुत्र महादेव,
18. सुशील कुमार पुत्र छीतरमल,
19. सुनिल कुमार पुत्र छीतरमल,
20. मेवाराम पुत्र कालू
21. बाबूलाल पुत्र कालू
22. अर्जून लाल पुत्र कालू
23. बंशीधर पुत्र केशाराम
24. रामलाल पुत्र केशाराम
25. नानूराम पुत्र केशाराम
26. भूराम पुत्र केशाराम
27. रामेश्वर प्रसाद पुत्र केशाराम
28. भगवान सहाय पुत्र केशाराम
29. मुकन्दी लाल पुत्र कालूराम
30. सावरमल पुत्र कालूराम
31. श्रीमति प्रमाती देवी पत्नी कालूराम
32. सुरजगल पुत्र हरिराम
33. मूलसिंह पुत्र हरिराम
34. लाल चन्द पुत्र हरिराम

4
जयपुर
जिला
अधिकारी

35. मोहनलाल पुत्र हरिराम

जाति समस्त जाट, निवासी वार्ड नम्बर 5, रेल्वे स्टेशन रोड, कस्या चौमूं,
तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुम्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 21.10.14 के अनुसार हाल नक्शा दुरुस्थ करने की घोषणा की जाती है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तहसील चौमूं दिनांक 21.10.14 के हाल नक्शा में दुरुस्त करने के तहसीलदार चौमूं को आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावे। बसत मेरे हस्ताक्षर व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 16.12.2019 को जारी किया गया।



(Handwritten signature)
हिम्मत सिंह
उपरवादी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुवगनामा		
बाबत इजराय हुवगनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोट— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

